No.12012/13/2020-UPP(E-29265)
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizers

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 4th March, 2025

To
The Managing Director,
Yara Fertilizers India Pvt. Ltd.(YFIPL),
Unit No. 502, Global Business Square,
Plot No. 32, Sector-44, Institutional area,
Gurugram – 122002.

Subject: - Revision in Provisional Concession Rates and Sales Tax Rates per MT of urea on account of quarterly escalation/de-escalation in input prices for 2nd quarter of 2024-25 in respect of Yara Fertilizers India Private Limited (YFIPL).

Sir,

I am directed to say that it has been decided to revise the concession rates and Sales Tax per MT for urea produced by Yara Fertilizers India Pvt. Ltd.(YFIPL) on account of quarterly escalation/de-escalation in input prices for the 2nd quarter of 2024-25, as per details given below:

YFIPL **Rs/MT**

Period	Details	Existing rate	Revised rate
01.07.2024 to 30.09.2024	Concession Price including Tax	33470	33754
Continuing Rate w.e.f. 01.10. 2024	Concession Price including Tax	33470	33754

2. The above concession rates are provisional subject to audit and revision on account of any correction in data / workings and computation, if noticed later.

3. You may prefer your claims on the basis of the revised concession price in the proforma prescribed by the FICC. Reduction in subsidy on account of downward revision of concession price may be duly adjusted in the arrears subsidy bills or fresh subsidy bills to be preferred with the FICC and in case no payments are due from the Government, the amount be refunded to the Government by due date.

04.03.25

4. This issues with the concurrence of the Finance Division of this Department conveyed vide E-File of even number.

Yours faithfully,

(Vinay Kumar Yadav)
Section Officer (UPP)
Tele: 23073614

Copy to:

1. Principal Director of Audit, Economic & Service Ministry, AGCR Building, I.P. Estates, New Delhi.
2. Controller of Accounts, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
3. Director General, Fertilizer Association of India, 10 Shaheed Jit Singh Marg, New Delhi-110067.
4. ED, FICC
5. Director (CE), FICC
6. Director of Accounts, Fertilizer Accounts Wing, Department of Fertilizers, Udyog Bhawan, New Delhi.
7. Pay & Accounts Officer, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
8. Jt. Director (F&A), FICC, 8th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi - 110066
9. Fin-II Desk, Department of Fertilizers
10. US (IT), DoF for uploading the same on website of the Department.
11. Guard File.

(Vinay Kumar Yadav)
Section Officer (UPP)
Tele: 23073614

सं.12012/13/2020-यूपीपी (ई-29265)

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 04 मार्च, 2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

मैसर्स यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट नंबर 502, ग्लोबल बिजनेस स्क्वायर,

प्लॉट नंबर 32, सेक्टर 44, इंस्टीट्यूशनल एरिया

गुरुग्राम -122002

विषय: मैसर्स यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए आदान मूल्यों में तिमाही वृद्धि/कमी के कारण यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए आदान मूल्यों में तिमाही वृद्धि/कमी के कारण मैसर्स यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्पादित यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

वाईएफआईपीएल **रुपये/मीट्रिक टन**

अवधि	ब्यौरा	मौजूदा दर	संशोधित दर
01.07.2024 से 30.09.2024 तक	बिक्री कर सहित रियायत मूल्य	33470	33754
01.10.2024 से जारी दर	बिक्री कर सहित रियायत मूल्य	33470	33754

2. उपर्युक्त रियायत दरें और बिक्री कर दरें अनन्तिम हैं जो लेखा परीक्षा किए जाने तथा आंकड़ों/गणनाओं तथा परिकलनों में बाद में जानकारी में आए किसी त्रुटि-सुधार के कारण संशोधन किए जाने के अध्यधीन हैं।

3. आप एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संशोधित रियायत मूल्य के आधार पर अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। रियायत मूल्य में कटौती करते हुए संशोधन के कारण राजसहायता में कमी को बकाया राजसहायता बिलों अथवा एफआईसीसी को प्रस्तुत किए जाने वाले नये राजसहायता बिलों में विधिवत

विनय यादव
04.03.25

समायोजित किया जाएगा और यदि सरकार की ओर से कोई भुगतान देय न हो तो राशि को निर्धारित तिथि तक सरकार को लौटा दिया जाए।

4. इसे इस विभाग के वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जाता है जिसकी सूचना समसंख्यक ई-फाइल द्वारा दी गई है।

भवदीय,

विनय यादव 04.03.25

(विनय कुमार यादव)
अनुभाग अधिकारी (यूपीपी)
टेली: 23073614

प्रतिलिपि:

1. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी.एस्टेट्स, नई दिल्ली।
2. लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, फर्टिलाइजर्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067.
4. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी
5. निदेशक (सीई), एफआईसीसी
6. निदेशक लेखा, उर्वरक लेखा विंग, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
7. वेतन एवं लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
8. संयुक्त निदेशक (एफएंडए), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
9. वित्त-II डेस्क, उर्वरक विभाग।
10. अवर सचिव (आईटी) को इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. गार्ड फाइल।

विनय यादव 04.03.25

(विनय कुमार यादव)
अनुभाग अधिकारी (यूपीपी)
टेली: 23073614